न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 प्रदीप के. गावंडे
अपील संख्या : 07/2020

श्री कृष्णाराम उर्फ किशनाराम पुत्र केशाराम जाति जाट साकिन भीचरी तहसील रतनगढ, जिला चुरू — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय भादाणी — वकील अपीलान्ट
2. पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :— 12—06—2024

यह अपील अपीलान्ट श्री कृष्णाराम उर्फ किशनाराम पुत्र केशाराम जाति जाट साकिन भीचरी तहसील रतनगढ, जिला चुरू के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—01—1985 के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट राजस्थान का सदभावी मूल निवासी है तथा भूमिहीन काश्तकार पेशा व्यक्ति तथा उसकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत खेती है। इस बाबत अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 10(3) के अनुसार शपथ पत्र एवं उद्घोषणा के साथ प्रस्तुत किया उस पर कोई भी रिबटल आए बिना तथा रिबटल का मौका दिए बिना अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ अदालत द्वारा तमा कार्रवाई अपीलान्ट पीठ पीछे व एकतरफा तौर पर की गई जो साक्ष्य अधिनियम के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध पढी नहीं जा सकती। इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई तथा ना ही कोई विधिवत रूप से तामील करवाई गई जबकि तामील के प्रावधान आज्ञापक है। आज्ञापक आदेश का उल्लंघन होने के कारण आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट की आवंटन पत्रावली पूरी पूरी तलफ कर दी गई जबकि रेवेन्यू कोर्टस के मुताबिक मूल कागजात व निर्णय तलफ नहीं किये जा सकते। इन प्रावधानों को नजर अन्दाज करके अपीलान्ट को उसके विधिक अधिकारों से महरूम करने के नीयत से यह तमाम कार्रवाई की गई है जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने कहा कि अपीलान्ट ने भूमि आवंटन हेतु दरख्वास्त लगाई थी जिसमें उसने तमाम सबूत भी दिये थे परन्तु अपीलान्ट को बिना नोटिस व सूचना का मौका दिये एक तरफा तौर पर तथा उसके पीठ पीछे

आदेश पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलान्ट की आवंटन पत्रावली पूरी पूरी तलफ कर दी गयी जबकि रेवेन्यू कोर्टस के मुताबिक मूल कागजात व निर्णय तलफ नहीं किये जा सकते। इन प्रावधानों को नजर अन्दाज करके अपीलान्ट को उसके विधिक अधिकारों से महरूम करने की नियत से यह तमाम कार्रवाई की गई। अभिभाषक ने ज्यूडिशियल रिकॉर्ड को रखने की अवधि 12 वर्ष की है के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 16.06.1993 ध्यानसिंह बनाम सरकार की प्रति अपील के साथ पेश की है और निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर राजस्व मण्डल के निर्णय के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमावे।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि अपीलान्ट की मूल पत्रावली संख्या आर–10 निर्णय दिनांक 28–01–1985 की पत्रावली उपनिवेशन अभिलेखागार बीकानेर में आवंटन अधिकारी द्वारा जमा करवाई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा उपनिवेशन अभिलेखागार में पत्रावलियां जमा करवाने से पहले आवंटन संबंधित सम्पूर्ण कार्रवाई कर जमा करवाई जाती है। आवंटन अधिकारी द्वारा पत्रावली को खारिज करने से पूर्व पूरी प्रक्रिया अपनाते है यथा नोटिस या पत्रावलियों की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा करते है। विभागीय विडींग कमेटी के द्वारा पैड संख्या 98 क्रम संख्या 15 के अनुसार निरसन (वीडिंग) कर दी गयी है। मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्ट द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्ट वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्ट द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्ट वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये है। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने के 30 वर्ष पश्चात अपील पेश की गई है। आवंटन नियम 1975 के नियम 23(1) में अपील पेश करने की अवधि आदेश पारित किए जाने के 30 दिवस नियत है। प्रस्तुत अपील 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत होने से स्पष्ट मियाद बाहर है। इतनी लम्बी अवधि के बाद अपील प्रस्तुत किए जाने के कोई ठोस कारण भी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किए गए है।

आवेदक स्वयं अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहा है। वर्ष 1985 में प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी 30 वर्ष पश्चात लेना ही आवेदक की उदासीनता को जाहिर करता है। अपीलांट की मूल पत्रावली दिनांक 20.12.2007 को बिडिंग कमेटी द्वारा निरसन की गई है अतः अपीलांट अभिभाषक ने जो ज्यूडिशियल रिकॉर्ड रखने की जो रूलिंग पेश की है वह इस पर चस्पा नहीं होती।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12–06–2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर